जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी।

कार्यवृत्त

विषय- बंदियों के कौशल विकास एवं उनके पुर्नवास हेतु प्रशिक्षण शिविर

दिनांक-27.02.19 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा जिला कारागार बाराबंकी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

पृष्ठभूमि-

माह मई 2018 में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिरकण के निर्देशानुसार महिला बंदियों हेतु 10 दिवसीय कैम्पेन चलाया गया था जिसमें उनके हाइजीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं पुर्नवास के संबंध में ठोस एवं कारगर कदम उठाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त कैम्पेन के अर्न्तगत महिला बंदियों को कौशल विकास के संदर्भ में अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिलाया गया। इसी क्रम में महिला बंदियों से व्यक्तिगत वार्ता करने के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि उनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं तथा मुकदमें के कारण अधिवक्ता की फीस व भाग दौड़ का अतिरिक्त व्यय परिवार पर आ पड़ा है। अधिवक्ता की फीस ना दे पाने की स्थिति में उनके मुकदमों की पैरवी उचित प्रकार से नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार महिला बंदियों में असुरक्षा की भावना भी देखी गई। उन्हें भय था कि जेल से निकलने के बाद उनका परिवार व समाज उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं। पुनः नियमित जेल भ्रमण के दौरान यह भी अनुभव किया गया कि जेल में निरूद्ध बंदी चाहे वह महिला हो या पुरूष अपराधी होने का दाग लग जाने के कारण तथा परिवार व समाज से दूर हो जाने के कारण अन्यन्त तनावग्रस्त रहते हैं तथा उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की कमी भी पायी गयी। उनमें कई बंदी ऐसे हैं जो जेल में निरूद्ध होने से पहले किसी नौकरी या रोजगार में लिप्त थे तथा एक सामान्य जीवन बिता रहे थे किन्तु जेल में निरूद्ध होने के पश्चात ना केवल वह वर्तमान नौकरी या रोजगार से वंचित हो गये थे अपितु उन्हे यह भी डर था कि जेल से निकलने के पश्चात कोई उन्हे नई नौकरी या रोजगार प्रदान करेगा या नही। इसी प्रकार अनेक ऐसे बंदी भी जेल में निरूद्ध हैं जो अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। जेल में निरूद्ध होने के बाद ना ही कोई उनकी पैरवी करने वाला था और ना ही वे अपने परिवार की सहायता करने की स्थिति में थे। यद्यपि उन्हे विधिक सहायता पैनल अधिवक्ता व जेल विजिटर के माध्यम से प्रदान की गयी परन्तु साथ ही साथ यह आवश्यकता भी अनुभव की गयी कि उनकी तनावपूर्ण मनोदशा, कमजोर आर्थिक स्थिति एवं सशंकित भविष्य के सन्दर्भ में कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस हेतु यह विचारित किया गया कि इनके पुर्नवास हेतु कौशल विकास के प्रशिक्षण द्वारा इन्हे आत्मनिर्भर बनाया जाये जिससे ना केवल वे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान प्राप्त कर सकें अपितु कौशल के बल पर स्वयं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके।

Pathak
7.3.19

उपरोक्त विचार को ही मूर्त रूप प्रदान करते हुये उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी के सहयोग से दिनांक-27.02.19 को जिला कारागार बाराबंकी में विचाराधीन बंदियों के पुर्नवास, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भतरता विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से जेल में निरूद्ध महिला बंदियों द्वारा फूलों से निर्मित हर्बल अगरबत्तियों व धूपबत्तियों से संबंधित प्रोजेक्ट का औपचारिक प्रारम्भ किया गया। ये हर्बल अगरबत्तियां व धूपबत्तियां बाजार में विक्रय हेतु तैयार है। इनके निर्माण व विक्रय में आयी लागत को निकालने के पश्चात शेष लाभ की धनराशि महिला बंदियो के खाते में जमा कर दी जायेगी। यह कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा स्वंयसेवी संस्था पारस फाउण्डेशन एंव बंदना पीस फाउण्डेशन के सहयेाग से किया जा रहा है। इसी क्रम में इस शिविर के माध्यम से बंदियों को विभिन्न स्वंयसेवी सस्थाओं व जिला प्रशासन की सहायता से जूट के बैग बनाने, जरदोजी व चिकन की कढ़ाई करने हस्तनिर्मित ज्वेलरी बनाने, सिलाई करने आदि का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की योजना का भी शुभारम्भ किया गया।

शिविर का प्रारम्भ मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योसना शर्मा माननीय सदस्य सचिव उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। शिविर में अतिथि के रूप में श्रीपर्णा गांगुली डी0आई0जी0 प्रिजन फैजाबाद मण्डल भी उपस्थित थी। शिविर की अध्यक्षता श्री जे0एम0 अब्बासी जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बारबंकी द्वारा की गयी। शिविर का दिशा निर्देशन श्री श्री भागीरथ वर्मा, ओ0एस0डी0

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। शिविर में डा0 आर0के0 श्रीवास्तव वरिष्ठ वैज्ञानिक सी मैप, मेधा रूपम मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी, दीपक यादव जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन बाराबंकी, अंजली सिंह अध्यक्ष जूट फार लाईफ, लवलीन गुप्ता अध्यक्ष पारस फाउण्डेशन, एन0जी0ओ0 सद्भावना द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री लवलीन गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में बंदियों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया तथा जेल में निरूद्ध बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत पर नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। महिला बंदी राजलक्ष्मी द्वारा बेटियों की शिक्षा की आवश्यकता विषय पर कविता '' क्योंकि मैं बेंटी हूं इसलिए मुझे पढ़ना है'' प्रस्तुत किया गया।

श्रीमती रचना सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा कार्यक्रम का प्रारम्भ करते हुए शिविर की पृष्ठ भूमि एवं उद्देश्य के संबंध में प्रकाश डालते हुए कथन किया गया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से बंदियो का पुर्नवास करना एवं उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होनें कहा कि विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं एवं विभागों द्वारा उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जायेंगें जिसका उपयोग वे ना केवल जेल में रहने के दौरान अपितु बाहर जाने पर भी आय अर्जन करने हेतु कर सकते हैं तथा अतीत को भूलकर अपने जीवन का नया अध्याय प्रारम्भ कर सकते हैं। इस क्रम मे उनके द्वारा महिला बंदियो द्वारा तैयार हर्बल अगरबत्तियों व धूपबत्तियी संबंधी प्रोजेक्ट की भी संक्षिप्त जानकारी दी गयी।

श्रीमती मेधा रूपम मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी द्वारा अपने संबोधन में कथन किया गया कि उनके सेवाकाल में पहली बार ऐसा कुछ करने का उन्हें अवसर मिला जिसके लिए उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जेल में निरूद्ध सभी बंदियों के लिए इस कौशल प्रशिक्षण शिविर में एवं आने वाले समय में एक विस्तृत शिविर का आयोजन किये जाने का कथन किया गया। उनके द्वारा अपने संबोधन में प्रशासन की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया।

श्रीपर्णा गांगुली, डी0आई0जी0 प्रिजन फैजाबाद मण्डल द्वारा अपने संबोधन में सदस्य सचिव सालसा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी को उनकी सोच एवं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कथन किया गया कि यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रशासन, जेल प्रशासन एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे जेल में निरूद्ध बंदियों को विशेष तौर पर महिला बंदियों को बहुत लाभ होगें। कौशल प्रशिक्षण जेल में प्राप्त कर वे इसका इस्तेमाल केवल जेल में ही नहीं अपितु अपनी सजा के बाद जब वे समाज की मुख्य धारा में जायेगों तो इसका लाभ उठाकर न सिर्फ खुद का बल्कि अन्य लोगों का भी सहारा बन पायेगें। जेल प्रशासन इस तरह के आयोजनों का स्वागत करता है और सदैव बंदियों के हित के लिए उठाये गये ऐसे सभी आयोजनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता रहेगा।

श्री आर0के0 श्रीवास्तव वरिष्ठ वैज्ञानिक सी0मैप द्वारा अपने संबोधन मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुक्रम में 10 दिवसीय अभियान जो माह मई 2017 में आरम्भ किया गया था को याद दिलाते हुए कथन किया कि जब वे पहली बार जिला कारागार बाराबंकी में महिलाओं को अगरबत्ती व धूपबत्ती बनाने का प्रशिक्षण देने आये थे तो उन्होने यह नहीं सोचा था कि आगे चलकर यह कार्यक्रम इतना बृहद हो जायेगा। इस अवसर पर उन्होंनें बताया कि वे प्राकृतिक तरीकों को अपनाते हुए पूर्ण रूप से हर्बल अगरबत्ती व धूपबत्ती बनाने का प्रशिक्षण देते हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर न पड़े। इस अवसर पर उन्होने बताया कि हर्बल अगरबत्ती व धूपबत्ती को प्रयोग करने का चलन अब काफी तेजी से बढ़ा है और इसकी मांग विदेशों में तेजी से हो रही है। जेल में निरूद्ध महिला बंदियों द्वारा तैयार किये गये हर्बल अगरबत्तियों के विक्रय हेतु बाजार भी उपलब्ध कराने में वे सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है

श्रीमती अंजली सिंह अध्यक्षा स्वयं सेवी संस्था ने अपने संबोधन में कथन किया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत वे काफी उत्सुक थी कि उनकी संस्था द्वारा जेल में निरूद्ध

बंदियों को जूट के निर्मित हैण्डबैग के प्रशिक्षण देने का अवसर मिला है। उन्होंनें कहा कि उनकी संस्था ने लगभग 250 महिलाओं को जोड़कर जूट के निर्मित हैण्डबैग बनाने का कार्य शुरू किया है जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। उन्होनें बताया कि उनकी संस्था बहुत जल्द जिला कारागार में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगी जिसके द्वारा सभी बंदियों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा और उनके द्वारा तैयार किये गये बैगों का विक्रय भी उनकी संस्था द्वारा कराकर प्राप्त लाभ को बंदियों में वितरित कर दिया जायेगा।

श्री दीपक कुमार यादव, जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन बाराबंकी द्वारा अपने संबोधन में सर्वप्रथम सदस्य सचिव महोदया का आभार व्यक्त करते हुए कथन किया गया कि उन्हें जेल में निरूद्ध बंदियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा। उनके द्वारा बंदियों को कौशल विकास से संबंधित योजनाओं, प्रक्रिया व उसके लाभ की जानकारी दी गयी तथा कथन किया गया कि वे बंदियों के कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु हर संभव सहायता हेतु तत्पर हैं।

कार्यक्रम की मंचसंचालिका लवलीन गुप्ता, अध्यक्षा पारस फाउण्डेशन ने सर्वप्रथम उ0प्र0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कथन किया गया कि वे माह मई 2017 में आयोजित 10 दिवसीय अभियान का हिस्सा रहीं और उन्होने प्रशिक्षण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए महिला बंदियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही साथ उनके द्वारा अगरबत्तियों एवं धूपबत्तियों के निर्माण एवं उनके विक्रय का बीड़ा उठाया। उनके इस प्रयास में बंदना पीस फाउण्डेश भी उनके साथ है और इसके लिए मार्गदर्शन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी द्वारा सदैव मिलता रहा। इसके अतिरिक्त उन्हें इस पूरे आयोजन में उन्हें कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि वे कैदियों के साथ हैं और महिला बंदियों द्वारा सदैव बढ़चढ़ कर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया और उन्होनें अगरबत्तियों एवं धूपबत्तियों को बनाने में मशीनो जैसी निर्मित अगरबत्तियां तैयार की। तैयार अगरबत्त्यिों को बेचने के लिए उनकी संस्था ने बाजार तैयार कर लिया है और इससे मिलने वाले लाभ को बंदियों के खाते में भेजने की तैयारी भी कर ली गई है।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती ज्योत्सना शर्मा, सदस्य सचिव उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपने संबोधन में सर्वप्रथम जेल के बंदियों से कथन किया गया कि वे खुद को बंदी न समझे बल्कि खुद को कुछ दिनों की यात्रा करने वाले यात्री समझे जिनकी यात्रा का एक पड़ाव जेल से होकर गुजरता है। उन्होनें यह भी कथन किया कि जो भी गलतियों भूतकाल में हो गयी हैं उन्हें भूलकर खुद को सुधारने के लिए सज्ज रहें। उन्होने कहा कि जिला कारागार के इस कार्यक्रम में उन्हें सम्मिलित होने काफी हर्ष हो रहा है। देंवा महादेवा की पुण्यभुमि पर उन्हें ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर अपार खुशी मिली है। उन्होनें कहा कि सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं। हम जिस भी समस्या अथवा परेशानी में है हमें सदैव इसलिए प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और न केवल अपना बल्कि अपने समाज व अपने देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें। ऐसे में हमारा यह प्रयास है कि आप अपने खाली समय में कुछ ऐसी चीजें ऐसे कौशल सीख सकें जिससे आपके अपने मन में अपने प्रति सम्मान की भावना विकसित हो सके। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि बहुत से हुनरवान कारागार में निरूद्ध है लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम है कि उनमें कौन सा हुनर है और जिन्हें मालूम भी है वे अपने हुनर को प्रदर्शित करने में झिझक महसूस करते हैं। कई बार उन्हें यह बताने वाला नहीं मिलता कि उन्हें क्या और कैसे करना है। कोई भी कार्य बेकार नहीं होता है और यदि किसी भी कार्य करने आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है तो वह सोने पर सुहागा है। इसी भावना से इस शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न विभागों, स्वयंसेवा संस्थाओं के द्वारा अलग अलग विषय पर स्टाल लगाया गया है। जेल के बंदी जो भी कार्य मन लगाके सीखेगें वे उन्हें न केवल जेल में लाभ देगा अपितु जेल के बाहर जाने के बाद भी उन्हें सदैव लाभान्वित करेगा और वे अपने परिवार, अपने समाज एवं अपने देश के लिए सम्बल होगें। हमारा लक्ष्य है कि विभिन्न विभागों के द्वारा आपको विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जायेगा उनसे लाभ उठायें। इस अवसर पर उन्होने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भी तारीफ की।

श्री जे0एम0 अब्बासी जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा सभी आगन्तुकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कथन किया गया कि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर अपने आप में एक अनूठी पहल है। इस पहल में

अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और विशेष तौर पर जिला कारागार बाराबंकी प्रशासन भी साधुवाद का हकदार है जिसने अपने कैदियों के कौशल विकास में रूचि दिखाई है। जेल में इस तरह के और आयोजनों एवं प्रशिक्षण शिविरों पर बल देने हेतु एवं सभी को इस पुनीत कार्य में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया।

शिविर के अंत में लगभग 110 बंदियों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की गई।

कार्यक्रम कें अंत में सभी आगन्तुकों को प्रतीत चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए सूक्ष्म जलपान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

सादर।

दिनांक-

भवदीय,

(रचना सिंह)
पी0सी0एस0 जे0
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी।

प्रतिलिपि–

1. उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सादर सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु सादर प्रेशित।
2. माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जि0वि0से0प्रा0 को सादर सूचनार्थ।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी।